IA-01/23
UPGZ010058802022

सत्र परीक्षण सं० 214/2022
रजिस्ट्रेशन नं० 957/2022
सरकार बनाम बलराम उर्फ बन्टी आदि
धारा 302/120B भा०द०सं०
थाना भोजपुर,गाजियाबाद।

दिनांक 17.02.2023

पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

अभियुक्त बलराम उर्फ बन्टी की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन करने हेतु प्रार्थना पत्र 9 ख पर पूर्व की तिथि पर सुना जा चुका है।

अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० मुख्यतः इस आशय से पेश किया गया हैं कि अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 18.04.2021 समय 1.00 बजे दिन की बतायी गयी है। घटना की रिपोर्ट दिनांक 18.04.2021 को समय 7.21 पी एम पर थाना भोजपुर में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घटना की सूचना पहले फोन द्वारा थाना भोजपुर को दी तथा बाद में तहरीर देकर धर्मेन्द्र, आदेश, रिंकू व तीन अज्ञात के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० थाना भोजपुर पर दर्ज करायी। प्रार्थी/अभियुक्त बलराम उर्फ बंटी के पिता कमल सिंह के दो भाई कान्ती सिंह व लज्जाराम थे, कान्ती सिंह, शिवकुमार के पिता है तथा उक्त घटना में शिवकुमार के लड़के लाखन की दिन दहाडे दिनांक 18.04.2021 को समय 1.00 बजे दिन में हत्या हुई तथा थाना पुलिस भोजपुर द्वारा गांव में प्रधानी की रंजिश को लेकर मृतक के दो भाई सुखपाल उर्फ सुक्खे व लोकेश को गांव के राजेन्द्र पुत्र गंगासरन व शिवकुमार पुत्र कंचन सिंह के मौखिक कथन दिनांक 04.05.2021 को लिखकर एक्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फैशन के झूठे बयान लिखकर अभियुक्त बना दिया। अभियोजन साक्षीगण राजेन्द्र पुत्र गंगासरन व शिवकुमार पुत्र कंचन सिंह ना तो गांव के सभ्रान्त व्यक्ति थे, ना ही ऐसे व्यक्ति थे जिससे अभियुक्तगण की कोई मदद हो सकती हो, बल्कि राजेन्द्र पुत्र गंगासरन का भाई राजकुमार पुत्र गंगासरन ग्राम प्रधान का चुनाव सतीश पुत्र मुख्तयार के विरुद्ध वर्ष 2021 का चुनाव लड़ा और मात्र 11 वोटो से चुनाव हार गया था। सतीश को चुनाव प्रार्थी/अभियुक्त बलराम उर्फ बंटी ने लड़ाया था जिस कारण राजनैतिक रंजिश झूठा गवाह बना है। साक्षी शिवकुमार पुत्र कंचन सिंह के सगे भाई रतन सिंह है, रतन सिंह के पुत्र श्रीपाल है तथा श्रीपाल के पुत्र आदेश है, जो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दी गयी तहरीर में अभियुक्त थे। जिस कारण साक्षी शिवकुमार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध झूठी गवाही देता है। गांव के मनफूल व

वीरू सगे भाई है। मनफूल के चार लड़के यशपाल सिंह, जगपाल सिंह, राजपाल सिंह व जयपाल सिंह है। जगपाल सिंह का पुत्र प्रदीप है, जो प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 2015 में प्रधानी का चुनाव लडा था तथा प्रार्थी/अभियुक्त से 375 वोटो से चुनाव हार गया था। यश्पाल सिंह का सगा भाई जगपाल सिंह है, जगपाल सिंह का पुत्र धर्मेन्द्र है जो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दी गयी तहरीर में अभियुक्त था। जिस कारण गांव की प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण झूठा साक्षी बना है जिस कारण अपने भाई को बचाने के लिए झूठा साक्षी बना है। तथा प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के पिता कमल सिंह के भाई लज्जाराम थे। लज्जाराम के पुत्र गजेन्द्र ने थाना भोजपुर में मु०अ०सं० 201/2018 अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं० दिनांक 28.05.2018 को थाना भोजपुर में दर्ज कराया गया जिसमें आदेश व नितिन पुत्रगण श्रीपाल व मुकेश पुत्र जहनवीर व जितेन्द्र पुत्र सत्यवीर अभियुक्त हैं। उपरोक्त अपराध में अभियुक्त मुकेश पुत्र जहनवीर का सगा भाई रामकुमार है जो प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गांव की पार्टी बाजी व रंजिश के कारण झूठी गवाही 32 दिन बाद देता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति साथ में संलग्न है, जो एनेक्चर–1 है। नितिन कुमार पुत्र श्रीपाल गांववासी ने मु०अ०सं० 203/2018 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना भोजपुर, जनपद गाजियाबाद में प्रार्थी/अभियुक्त व उसके भाईयों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी, जिसमें राजकुमार गवाह का भाई मुकेश पुत्र जहनवीर गवाह है। प्रथम सूचना रिपोर्ट साथ में संलग्न है, जो एनेक्चर–2 है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध अन्तर्गत धारा 120B आई पी सी का नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त घटना के समय गांव के बाहर था तथा प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लडा था जिसके एजेन्ट बनाने के लिए आस पास के गांवों में घूम रहा था। घटना की सूचना मिलने पर स्वयं घटना स्थल पर आया तथा घटना की सूचना पुलिस को देकर मुकदमा दर्ज कराया। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता कमल सिंह की हत्या दिनांक 27.11.1997 को घर में घुसकर देवीचरन आदि ने कर दी थी तथा प्रार्थी/अभियुक्त की माँ व बहन घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गयी थी। न्यायालय में साबित होने पर अभियुक्तगण को आजीवन की सजा हुई जिससे रंजिश और बढ़ गयी। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गवाहान गांव की प्रधानी की रंजिश व पार्टी बाजी व मुकदमें बाजी के कारण झूठी गवाही पैदा करने का प्रयास किया जो बहुत कमजोर व अविश्वसनीय साक्ष्य है। उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त सत्र परीक्षण में अपर्याप्त साक्ष्य के कारण स्वयं को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

जबकि इस पर आपत्ति करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा प्रार्थनापत्र में गलत तथ्यो का उल्लेख किया गया है।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप के स्तर पर मात्र अभियोजन प्रपत्रो का ही अवलोकन किया जाना है। अभियोजन के द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्य एवं गवाहो के बयानो के आधार पर स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा ही अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका की हत्या का षडयंत्र रचा गया। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 227 दं०प्र०सं० के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि यदि मामले में अभिलेख व उसके साथ दी गयी दस्तावेज पर विचार करने पर न्यायालय यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र मुख्यतः इस तथ्य पर आधारित है कि उसका नाम सह अभियुक्तगण के न्यायिकेत्तर संस्वीकृति, गांव की राजनीति, मुकदमें की दुश्मनी के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोप विरचन के समय न्यायालय को मात्र यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं। पुलिस द्वारा जो प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता दर्शित हो रहा है। अभियुक्त द्वारा जो आधार लिया गया है, उसका विश्लेषण इस प्रक्रम पर नहीं किया जा सकता। अतः करने उन्मोचन प्रार्थना पत्र 9 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 9 ख निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली नियत तिथि दिनांक 15.03.2023 को पेश हो। अभियुक्तगण नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

Digitally signed by Mukesh Kumar Singh
Date: 2023.02.17 16:56:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court